राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12447/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
एस के विजयवर्गीय 701, फोरेस्ट व्यू रेजिडेंसी, मेन जगतपुरा रोड, मॉडल टावन, जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 22-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री मनोहर सिंह रतनू, उप अधीक्षक पुलिस उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 13-01-2017 के द्वारा एफआईआर नं0 213/2002 की पूर्ण नोटशीट तथा उसके द्वारा मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, सर्तकता आयुक्त, कार्मिक सचिव को प्रस्तुत आवेदनों की प्रति, जो ब्यूरो को प्राप्त हुई है चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 02-03-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि उक्त एफआईआर नं0 की पत्रावली जैर ट्रायल है जिसकी सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (एच) के अन्तर्गत देय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा भेजे गये विभिन्न अभ्यावेदनों पर प्रत्यर्थी के कार्यालय के द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ में 57 पृष्ठों के 114/-रूपये शुल्क दिनांक 31-01-2017 से मांग की गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 28-12-2017 प्रस्तुत किया है जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर में अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा 114 रूपये जमा कराने पर अपीलार्थी को वांछित सूचना पत्र दिनांक 08-02-2017 से उपलब्ध कराई गई। सूचना दिया जाना शेष नहीं है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त